<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

विजय गवारिया बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 238 / 2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी विजय गवारिया, निवासी 19 / 157, प्रेमनगर डिगाड़ी, सारण नगर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.05.2022 में (1) डिगाड़ी सारण नगर वार्ड नं. 79 जोधपुर में दिये गये Liquor liecense व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 626 दिनांक 17.05.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर आबकारी विभाग जोधपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 626 दिनांक 17.05.2022 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि जिला आबकारी जोधपुर ने अपने पत्राक 305 दिनांक 15.06.2022 द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा सूचना भी प्रेषित करना बताया गया अतः उनके द्वारा दी गई सूचना से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है तो उनके संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर (लोक सूचना अधिकारी) के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>